TIMES OF INDIA, Mumbai, 30.9.2020
Page No. 10, Size:(17.58)cms X (17.58)cms.

Human rights can't be an excuse for defying law of the land: MHA

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Refuting the allegation of "witch hunt" levelled against the government by Amnesty International India, the home ministry on Tuesday said the human rights NGO was facing a probe for circumventing the Foreign Contribution Regulation Act, 2010, by receiving foreign funds remitted through FDI route. The ministry also claimed India's approach to Amnesty was "bipartisan" as previous government had also rejected its applications to receive funds from abroad.

Accusing the human rights body of seeking to divert attention from the violation of norms, the ministry said, "All the glossy statements about humanitarian work and speaking truth to power are nothing but a ploy to divert attention from their activities which were in clear contravention of laid down Indian laws."

Emphasising that law applied to all and Amnesty could not claim exemption, it added, "Human rights cannot be an excuse for defying the law of the land."

Terming the stand taken and statements issued by Amnesty International as "unfortunate, exaggerated and far from the truth", the ministry said a significant amount of foreign money was remitted by Amnesty International UK to Amnesty India via four trusts without MHA's approval required under the FCRA.

Sources in the also contested the NGO's claim that it had shut down its India operations as agencies had frozen its bank accounts. A senior official confirmed that two of Amnesty's bank accounts in Bengaluru were operational. No Amnesty account has been frozen, except for Rs 52 crore attached in 2018 which belonged to a private limited company, Amnesty International India Pvt Ltd (AIIPL), sources said.

Full report on www.toi.in

Hope NGO can resume work in India, says EU

As Amnesty International announced its decision to exit India, the European Union expressed hope that the NGO would be allowed to resume work without interruption and said it had raised issues related to the organisation with the Indian government. The spokesperson for foreign affairs and security policy Nabila Massrali said EU had already raised the issue with its Indian interlocutors, expressing expectation that these issues would be solved. TNN

Amnesty involved in many illegalities: BJP

Reacting to Amnesty International's announcement of halting operations in India, the BJP on Tuesday accused it of being involved in "multiple illegalities". Former union minister and BJP spokesperson Rajyavardhan Singh Rathore alleged that Amnesty International received foreign funds illegally. "Multiple illegalities have been undertaken by Amnesty International, therefore, it has no right to lecture on propriety," he said. TNN

DAINIK JAGRAN, Delhi, 30.9.2020
Page No. 9, Size:(18.19)cms X (18.41)cms.

मानवाधिकारों की दुहाई देकर नहीं तोड़ सकते देश का कानून : केंद्र

एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण, सच्चाई से परे

नई दिल्ली, प्रेट्र : एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम के दौरान परेशान करने संबंधी बयान के बाद केंद्र सरकार ने उसे बिल्कुल झूठा बताया और कहा कि मानवाधिकारों की दुहाई देकर कोई भी देश का कानून नहीं तोड़ सकता है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को उसके उस बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, अतिरंजित और सच्चाई से परे बताया जिसमें उसने कहा है कि उसे भारत में लगातार निशाना बनाया जा रहा है।

गृह मंत्रालय ने कहा कि एमनेस्टी का बयान संस्था की उन गतिविधियों से सभी का ध्यान हटाने की कोशिश है, जो गैरकानूनी हैं। मंत्रालय ने कहा, ऐसे बयानों का उद्देश्य उसकी अनियमितताओं व अवैध गतिविधियों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करना है। मंत्रालय ने कहा कि एमनेस्टी को 20 वर्ष पहले (19 दिसंबर, 2000) फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (एफसीआरए) के तहत सिर्फ एकबार अनुमति मिली। तब से उसके बार-बार आवेदन के बावजूद उसे एफसीआरए मंजूरी नहीं दी गई, क्योंकि कानूनन वह पात्र नहीं थी।

उसने एफसीआरए नियमों का उल्लंघन कर भारत में पंजीकृत चार कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रास्ते काफी धन जमा किया। मंत्रालय की मंजूरी के बिना एमनेस्टी इंडिया को विदेशों से बहुत बड़ी राशि मिली। गलत रास्ते से धन मंगवाना कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है। इन्हीं गैरकानूनी गतिविधियों के कारण विदेशों से चंदा पाने की उसकी अर्जी बार-बार खारिज की गई। इतना ही नहीं, उसको एक बार भारत में अपनी गतिविधियां बंद भी करनी पड़ीं।

मंत्रालय ने कहा कि एमनेस्टी के खिलाफ उठाए गए कदमों से साबित होता है कि उसने अपने कामकाज के लिए धन पाने के लिए संदिग्ध तरीके अपनाए। बता दें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मंगलवार को कहा कि वह भारत में अपने खातों के फ्रीज होने के कारण अपनी सभी गतिविधियों को रोक रहा है।

एमनेस्टी नहीं, प्राइवेट कंपनी के खिलाफ जांच : सरकार ने कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन के खिलाफ कोई ईडी जांच नहीं की जा रही है और न ही उसके कामकाज में कोई रुकावट पैदा की जा रही है। सरकार इस एनजीओ से जुड़ी प्राइवेट कंपनी के वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है जिसने विदेश से 51 करोड़ रुपये प्राप्त किए। एक अधिकारी ने कहा, ईडी एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा इंडियंस फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट के खिलाफ संदेहास्पद रूप से वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है।

DAINIK JAGRAN RASTRIYA SANSKARAN, Delhi,
Page No. 3, Size:(20.77)cms X (13.37)cms.

मानवाधिकारों की दुहाई देकर नहीं तोड़ सकते कानून : केंद्र

नई दिल्ली, प्रेट्र: एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम के दौरान परेशान करने संबंधी बयान के बाद केंद्र सरकार ने उसे बिल्कुल झूठा बताया और कहा कि मानवाधिकारों की दुहाई देकर कोई भी देश का कानून नहीं तोड़ सकता है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को उसके उस बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, अतिरंजित और सच्चाई से परे बताया जिसमें उसने कहा है कि उसे भारत में लगातार निशाना बनाया जा रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि एमनेस्टी का बयान संस्था की उन गतिविधियों से सभी का ध्यान हटाने की कोशिश है, जो गैरकानूनी हैं। मंत्रालय ने कहा, ऐसे बयानों का उद्देश्य उसकी अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करना है। मंत्रालय ने कहा कि एमनेस्टी को 20 वर्ष पहले (19 दिसबंर, 2000) फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (एफसीआरए) के तहत सिर्फ एकबार अनुमति मिली। तब से उसके बार-बार आवेदन के बावजूद उसे एफसीआरए मंजूरी नहीं दी गई, क्योंकि कानूनन वह पात्र नहीं थी।

उसने एफसीआरए नियमों का उल्लंघन कर भारत में पंजीकृत चार कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रास्ते काफी धन जमा किया। मंत्रालय की मंजूरी के बिना एमनेस्टी इंडिया को विदेशों से बहुत बड़ी राशि मिली। गलत रास्ते से धन मंगवाना कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है। इन्हीं गैरकानूनी गतिविधियों के कारण विदेशों से चंदा पाने की उसकी अर्जी बार-बार खारिज की गई। इतना ही नहीं, उसको एक बार भारत में अपनी गतिविधियां बंद भी करनी पड़ीं। मंत्रालय ने कहा कि एमनेस्टी के खिलाफ उठाए गए कदमों से साबित होता है कि उसने अपने कामकाज के लिए धन पाने के लिए संदिग्ध तरीके अपनाए। बता दें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मंगलवार को कहा कि वह भारत में अपने खातों के फ्रीज होने के कारण अपनी सभी गतिविधियों को रोक रहा है।

दिखाया आईना

- एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण, अतिरंजित और सच्चाई से परे
- कानून का उल्लंघन कर बड़ी मात्रा में विदेश से चंदा जुटाया गया
- गैर-कानूनी गतिविधियों से लोगों का ध्यान हटाने को कर रही गलतबयानी

एमनेस्टी नहीं, प्राइवेट कंपनी के खिलाफ जांच : सरकार ने यह भी कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन के खिलाफ कोई ईडी जांच नहीं की जा रही है और न ही उसके कामकाज में कोई रुकावट पैदा की जा रही है। सरकार इस एनजीओ से जुड़ी प्राइवेट कंपनी के वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है जिसने विदेश से 51 करोड़ रुपये प्राप्त किए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ईडी एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा इंडियंस फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट के खिलाफ संदेहास्पद रूप से वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है। इनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) तथा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) के तहत जांच हो रही है। एजेंसी ने गत सितंबर में 51 करोड़ रुपये के फेमा उल्लंघन के मामले में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस कंपनी ने ब्रिटेन के एमनेस्टी इंटरनेशनल से 2013-14 से लेकर 2018-19 के दौरान कथित रूप से 51.52 करोड़ रुपये प्राप्त किए। जांच के दौरान संदेहास्पद लेनदेन के कारण ही बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए। ईडी की इस कार्रवाई को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट ने एजेंसी की कार्रवाई को सही ठहराया।

'एमनेस्टी को मर्यादा पर भाषण देने का कोई अधिकार नहीं'

नई दिल्ली, प्रेट्र: भाजपा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कई तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त है और उसको मर्यादा पर भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है। उसका बयान और कुछ नहीं उन अनियमितताओं से ध्यान भटकाने का प्रयास है।

पार्टी मुख्यालय में मंगलवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि कोई भी संगठन भारत में काम कर सकता है, लेकिन वह देश के नियम-कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता। ईमानदारी का चोला ओढ़कर गलत काम करने के लिए हम किसी भी भारतीय अथवा विदेशी संगठन को अनुमति नहीं दे सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने विदेशों से गैरकानूनीरूप से धन प्राप्त किया। उसने कई गैरकानूनी कार्य किए हैं, इसलिए उसको मर्यादा पर भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है। खास तौर से तब जब संगठन के खिलाफ उसके गैरकानूनी कार्यों को लेकर उस पर कार्रवाई हो रही है।

HINDUSTAN, Delhi, 30.9.2020
Page No. 17, Size:(17.04)cms X (15.99)cms.

एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण : भारत

नई दिल्ली। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के सभी आरोपों को केंद्र ने मंगलवार को खारिज कर दिया। गृह मंत्रालय ने कहा एमनेस्टी इंटरनेशनल का रुख और उसके बयान दुर्भाग्यपूर्ण हैं। एमनेस्टी के बयान अतिरंजित और सच्चाई से दूर हैं। उसे कानून सम्मत तरीके से काम करने पर रोक नहीं है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल को विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत केवल एक बार और वह भी 20 साल पहले गृह मंत्रालय से अनुमति मिली थी। भारत में मानवीय कार्य जारी रखने को एमनेस्टी स्वतंत्र है। पर विदेशी फंडिंग से वित्त पोषित संस्थाओं द्वारा भारत में घरेलू राजनीतिक बहस में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। उधर, भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा भारत में कोई भी संगठन काम कर सकता है, पर वह कानूनों एवं नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। संगठन कोई भी हो, उसे कानून के दायरे में रहना होगा। **(वि.सं.)**

RASHTRIYA SAHARA, Delhi, 30.9.2020
Page No. 8, Size:(18.97)cms X (11.10)cms.

एमनेस्टी ने भारत में काम रोका

नई दिल्ली (भाषा)। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मंगलवार को कहा कि वह भारत में उसके खातों के फ्रीज होने के कारण अपनी सभी गतिविधियों को रोक रहा है। उसने दावा किया है कि उसको निराधार और प्रेरित आरोपों को लेकर लगातार निशाना बनाया जा रहा है।

एमनेस्टी इंडिया ने एक बयान में कहा कि संगठन को भारत में कर्मचारियों को निकालने और उसके जारी सभी अभियान और अनुसंधान कार्यों को रोकने के लिए मजबूर किया गया है। उन्होंने कहा, भारत सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बैंक खातों को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है, जिसके बारे में 10 सितम्बर 2020 को पता चला था, इसलिए संगठन द्वारा किए जा रहे सभी कामों को रोक दिया गया है। हालांकि, सरकार ने कहा है कि एमनेस्टी को अवैध रूप से विदेशी धन प्राप्त हो रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने 2018 में बेंगलुरू में एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुख्यालय की तलाशी की थी। ये

सरकार पर लगाया निशाना बनाने का आरोप

सरकार ने कहा, एमनेस्टी को अवैध रूप से प्राप्त हो रहा विदेशी धन

छापे विदेशी मुद्रा अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए किए गए थे। संगठन ने दावा किया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया और अन्य मुखर मानवाधिकार संगठनों, कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों पर हमले केवल विभिन्न दमनकारी नीतियों और सत्य बोलने वालों पर सरकार द्वारा निरंतर हमले का विस्तार है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा, भारत सरकार द्वारा मानवाधिकार संगठनों पर निराधार और प्रेरित आरोपों को लेकर लगातार किए जा रहे हमलों की कड़ी में यह नई घटना है। संगठन ने कहा कि वह सभी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पूर्ण पालन करता आया है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गैर कानूनी तरीकों से फंड जुटाया : राठौड़

नयी दिल्ली (वार्ता)। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है की एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गैर कानूनी और संदेहास्पद तरीकों से नियमों के विपरीत जाकर विदेशों से फंड जुटाया है। उन्होंने कहा कि भारत में काम करना है तो सभी संस्थाओं को विदेशी फंडिंग के बारे में बताना होगा। राठौड़ ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की ओर से भारत सरकार पर मनमानी करने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 20 साल पहले परमीशन लिया था, फिर कभी नहीं लिया। उन्होंने कहा की 'एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि मानव अधिकार की उनकी रिपोर्ट के लिए सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है।

HINDU, Chennai, 30.9.2020
Page No. 6, Size:(29.86)cms X (5.17)cms.

High Court Full Bench reserves verdict on effect of

LEGAL CORRESPONDENT
CHENNAI

A Full Bench (comprising three judges) of the Madras High Court on Tuesday reserved its verdict on a reference made to it by a Division Bench in July 2017 for answering whether the reports of the State Human Rights Commission (SHRC) were merely recommendatory in nature or if they would be binding upon the State government.

Justices S. Vaidyanathan, V. Parthiban and M. Sundar deferred their judgment after hearing marathon arguments advanced by a battery of lawyers since February 17 this year. Over 40 advocates made their submissions before the Bench.

Additional Solicitor General R. Shankaranarayanan, Additional Advocate General Narmadha Sampath, Central Government standing counsel M.P. Jaisha and advocate R. Srinivas represented the Centre, the State government, the National Human Rights Commission (NHRC) and the SHRC, respectively, before the Full Bench and placed their submissions.

Amicus Curiae B. Vijay wound up the arguments by bringing to the notice of the judges that a previous Full Bench comprising Justices T.S. Sivagnanam, V. Bhavani Subbaroyan and M. Dhandapani had posed five
cant questions, rela
the issue, to the Sta
vernment on June 17
and obtained written
to them on July 10, 20

Cumbersome proce
Mr. Vijay told the cou